फर्द अहकाम

न्यायालय — उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, सांगानेर
गीता देवी व अन्य बनाम रामशरण व अन्य
मुकदमा संख्या/वर्ष 21/2012 : दावा /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी वादी ने अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है।
		पत्रावली राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात, प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC, जवाब प्रा0पत्र 07 R11 CPC का अवलोकन करने व वकील उभयपक्षो की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वादीगण ने वादग्रस्त आराजी बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 RTA 1955 का दावा पेश किया है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत वादीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 17 जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर के यहाँ उनवान श्रीमती गीता देवी व अन्य बनाम रामशरण व अन्य का वाद बाबत घोषणा रद्द किये जाने हकत्याग पत्र व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जो वर्तमान मे विचाराधीन है जिसमें आगामी पेशी 3/7/2024 नियत है। उक्त विचाराधीन प्रकरणों मे वादग्रस्त सम्पत्ति एक समान है तथा दोनो प्रकरणो मे पक्षकार समान हैं ऐसी स्थिति में वादग्रस्त सम्पत्ति बाबत दो अलग- अलग न्यायालय में प्रकरण का विचारण न्याय संगत नही है और विधि द्वारा वर्जित है। तथा वाद-पत्र मे वादीगण ने स्वयं द्वारा यह अंकित किया गया है वादग्रस्त आराजी का एक भाग जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अवाप्त कर लिया [illegible] खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 21/2012

फर्द अहकाम

न्यायालय — उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, सांगानेर
गीता देवी व अन्य बनाम रामशरण व अन्य
मुकदमा संख्या/वर्ष 21/2012 : दावा /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो चुकी है। ऐसी स्थिति मे भी अदालती वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर न्यायाधीकरण को है। ऐसी स्थिति मे वादग्रस्त सम्पत्ति बाबत दो अलग-अलग न्यायालय मे प्रकरण का विचारण न्याय संगत नही है और विधि द्वारा वर्जित है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC स्वीकार किये जाने योग्य है।	
	अत: आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या-1 का प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 0.55 है0, 116 रकबा 0.15 है0, 117 रकबा 0.23 है0, 121 रकबा 0.04 है0, 122 रकबा 0.03 है0, 129 रकबा 0.40 है0, 130 रकबा 0.13 है0, 132 रकबा 0.03 है0 (कुल किता- 8 कुल रकबा- 1.56 है0 व खसरा नम्बर 123 रकबा 0.05 है0, 126 रकबा 0.04 है0, 133 रकबा 0.06 है0 (कुल किता-3 (कुल रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम सीतारामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से तैयार कर पेश करें। निर्णय आज दिनांक 15/10/24 को खुले न्यायालय मे सुनाया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया।	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 12:20:55 IST
Reason: SelfAttested